

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-78721 दिनांक 27.09.2019 द्वारा संसूचति अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-02/2016सा0प्र0 11459 दिनांक 21.08.2019 में कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन निम्न शर्त को भी जोड़ा जाता है:-

“सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-11459 दिनांक 21.08.2019 के द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर अधिसूचित उम्मीदवारों की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 (सी0)-14156/2015 (धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली) एवं अन्य संलग्न मामलों के फलाफल से प्रभावित होगी।”

अधिसूचना में शेष बिन्दुएँ यथावत रहेगी।

विभागीय अधिसूचना संख्या-11459 दिनांक 21.08.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-02/2016सा0प्र0/पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि-ई गजट कोषांग, क्लि विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-02/2016सा0प्र013958.../पटना-15, दिनांक...11.10.19.
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-78721 दिनांक 27.09.2019 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

52/11.10.19

सरकार के अवर सचिव।